Dr. Shyam Shankar
Associate Professor
Deptt. of Political Science
Raja Singh College, Siwan

PDF NOTES FOR BA (Hons.) Part- II

व्यवस्थापिका का तुलनात्मक अध्ययन : भारत और ब्रिटेन

व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पहला अंग है भारत एवं ब्रिटेन का राजनीतिक इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। लम्बे समय तक भारत पर ब्रिटेन के आधिपत्य ने भारत की राजनीतिक संस्थाओं को गहरे प्रभावित किया है। ब्रिटेन की तर्ज पर ही भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री वास्तविक शासन शक्तियों का प्रयोग करते हैं और दोनों ही देशों में राष्ट्राध्यक्ष को नाम मात्र का प्रधान बनाया गया है।

ब्रिटिश विधायिका के अन्तर्गत राजा एवं संसद है जबकि भारतीय विधायिका में राष्ट्रपति एवं संसद आते हैं। ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं हाऊस ऑफ लार्डस (House of Lords) तथा हाऊस ऑफ कामन्स (House of Commons)। ब्रिटिश लोगों को रूढ़िवादी माना जाता है क्योंकि वे अपनी पुरानी संस्थाओं को मिटाना नहीं चाहते। अनेक पुरानी व विचित्र संस्थाओं में से एक House of Lords भी है। इसकी प्रकृति, भूमिका व इसका गठन दूसरे देशों के द्वितीय सदनों की तुलना में विचित्र है। इसमें 6 प्रकार के सदस्य होते हैं। 1. शाही रक्त या मूलवंश के राजकुमार जो सामान्यतः इसकी कार्यवाही में भाग नहीं लेते। 2. इंगलैण्ड के पैत्रिक पियर्स व पियरेज। इनकी संख्या सबसे अधिक है। किसी पियर या पियरेस की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र को पियरेज मिल जाती है। 3. स्काटलैण्ड के पियर्स 4. 1958 के जीवन पियरेज अधिनियम के कुछ ऐसे पियर्स हैं जो आजीवन इसके सदस्य बने रहते हैं। 5. इसमें 9 विधि

Scanned with CamScanner

लार्ड्स की प्रधानमंत्री की सलाह पर राजा नियुक्त करता है 6. इसमें 26 धार्मिक या आध्यात्मिक स्थिति होती है जबकि भारत के राज्य सभा में सभी राज्यों की उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीट निर्धारित किया गया है जिसके चुनाव में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं तथा 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

ब्रिटेन की तरह भारत में भी निम्न सदन लोकसभा है जिसमें जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि होते हैं। ब्रिटेन के निम्न सदन को हाउस ऑफ कामन्स कहा जाता है। कामन्स सभा सभा एक सर्वकुशल और सर्वप्रभुत्व संपन्न द्वितीय सदन है। इसकी संख्या निश्चित नहीं है यह बदलती रहती रहती है। 2000 के चुनाव में इसकी सं० 659 थी तो 2005 के चुनाव में 646 हो गई। भारत की तरह इसके सदस्यों के चुनाव में मतदाता की वयस्कता की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। एक सुस्थापित परम्परा के अनुसार संसद का वर्ष में कम से कम एक सत्र अवश्य होना चाहिए। सामान्यतः यह अक्टूबर में शुरु होता है। जबकि भारत में लोकसभा का सत्र वर्ष में तीन बार बुलाया जाता है।

ब्रिटिश व्यवस्थापिका का भी प्रमुख कार्य कानून बनाना है। भारत की तरह ब्रिटेन में भी धन विधेयक हाउस ऑफ कामन्स में पेश किया जाता है। इसके बाद उसे हाउस ऑफ लार्ड्स में भेजा जाता है जो एक महीने के भीतर पास करेगी। उसकी सिफारिशों को मानना या न मानना हाउस ऑफ कामन्स की इच्छा पर निर्भर करेगा। अन्य विधेयक को हाउस ऑफ लार्ड्स पारित नहीं कर सकता है या उसे निरस्त कर सकता है लेकिन हाउस ऑफ कामन्स यदि इसे दुबारा पारित करती है तो वह हाउस ऑफ लार्ड्स की सहमति के बिना भी कानून का रूप ग्रहण कर लेगी। कामन्स सभा के कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य भी काफी महत्वपूर्ण है। सदस्यगण मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं जिसका उन्हें संतोषजनक उत्तर देना पड़ता है। वे काम रोको प्रस्ताव के द्वारा सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर चर्चा करा सकते हैं। भारत में भी लोकसभा की स्थिति धन विधेयक में महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है ... धन विधेयक तथा कार्यपालिका से जुड़े कार्य उन्हें सम्भाली

Scanned with CamScanner